

कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ-2/कनि0अभि0 (नियुक्ति)स्था-2/17/895

दिनांक: 20/2/17

कार्यालय आदेश

1. राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 03/2016 दिनांक 22.07.2016 को प्रसारित विज्ञप्ति के अन्तर्गत राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम 1967 के नियम संख्या 20 के तहत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को नियम 26 के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक (डिग्री) के पद पर निम्नानुसार अनुसूचित क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पद पर दो वर्ष की परीक्षाकाल अवधि पूर्णतया अस्थाई रूप से नियुक्ति दी जाती है।

क्र.सं.	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	जन्म दिनांक	वर्ग	लिंग	पदस्थापन स्थान
1	300127	श्री अशोक कुमार पुरोहित	31-Jan-92	सामान्य	पुरुष	कार्यालय सहायक अभियंता उपखण्ड द्वितीय अनूपपुरा
2	300013	श्री निश्चय श्रीमाल	14-Nov-93	सामान्य	पुरुष	कार्यालय सहायक अभियंता उपखण्ड द्वितीय अनूपपुरा
3	300028	श्री दिनेश पाटीदार	15-Sep-92	सामान्य	पुरुष	कार्यालय सहायक अभियंता यांत्रिक उपखण्ड आसपुर
4	300027	श्री विकेश डामोर	18-Jan-93	अजजा	पुरुष	कार्यालय सहायक अभियंता यांत्रिक उपखण्ड आसपुर

2. परीक्षाकालीन अवधि में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14(1) एफ.डी./रूल्स/2013 पार्ट दिनांक 08.06.15 के अन्तर्गत दो वर्ष की अवधि तक इन्हें रूपये 13,200/-प्रतिमाह की दर से भुगतान देय होगा।
3. परीक्षाकालीन अवधि की सेवायें संतोषप्रद पाए जाने पर इन्हें रनिंग पे-बैंड-2-रूपये 9300-34800 Grade Pay of Rs 3600/-प्रतिमाह एवं उन पर अन्य भत्ते दये होंगे।
4. (I) उक्त अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित पदस्थापन स्थान पर उपस्थित होकर उपस्थित रिपोर्ट के साथ फोटो आई.डी की फोटो प्रति, दो उत्तरदायी व्यक्तियों से जो अभ्यर्थी के रिश्तेदार न हो के चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, जाति, शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता, आयु, विधवा, परित्यक्ता स्त्री, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छाया प्रति सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।
(II) अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष को प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस सत्यापन प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
5. नियुक्ति निम्न शर्तों के तहत होगी:-

I उक्त नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी तौर पर होगी जो एक माह के नोटिस पर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।



- II नियुक्तियों सेवा नियमों में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत जारी शर्तों के तहत निर्धारित होगी।
- III उक्त अभ्यर्थी पर राजस्थान सिविल सेवाये (अंशदायी पेंशन) नियम 2005 लागू होंगे।
- IV नियुक्ति अभ्यर्थी आदेश जारी होने के 30 दिवस की अवधि में अपनी उपस्थिति पदस्थापित स्थान पर नहीं देगा तो उपरोक्त नियुक्ति आदेश निरस्त माने जायेंगे।
- V विवाहित अभ्यर्थी को विवाह प्रमाण पत्र एवं दहेज नहीं लेने सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान की सूचना उपस्थित प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
6. अभ्यर्थी को भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ निहित प्रारूप में लेनी होगी।
7. यदि आप विवाहित हो तो:- क्या आपके एक से अधिक पत्नियों है ? स्त्री उम्मीदवार के लिये क्या आपने ऐसे पति से विवाह किया है जिसके एक से अधिक पत्नियों जीवित है, आपको इस संबन्ध में शपथ पत्र देना होगा।



(विनोद शाह)
मुख्य अभियन्ता
जल संसाधन विभाग
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ-2/कनि0अभि0 (नियुक्ति)स्था-2/17/ 896-906

दिनांक:- 20/2/17

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय जल संसाधन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
 - 2- निजी प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर।
 - 3- निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर।
 - 4- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, उदयपुर
 - 5- अधीक्षण अभियन्ता
 - 6- उप निदेशक (आई टी) जल संसाधन विभाग, जेएलएन मार्ग, सिंचाई भवन, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।
 - 7- अधिशाषी अभियन्ता,
 - 8- सहायक अभियन्ता
 - 9- संबंधित पुलिस अधीक्षक,
 - 10- श्री
 - 11- रक्षा पत्रावली।



(अनिल अस्थाना)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रशासन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान, जयपुर